



बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 23.08.2025

थाना प्रेमनगर जनपद बरेली।

बरेली पुलिस की बड़ी कार्यवाही: कूटरचित भारतीय आईडी विभिन्न माता-पिता व जन्मतिथि से कई भारतीय पासपोर्ट बनवाने व अन्य किसी पहचान का अपने ऊपर प्रतिरूपण कर भारत में निवास करने करने वाली शातिर बांग्लादेशी अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 21.08.2025 को 30नि0 श्री वीरेश भारद्वाज द्वारा थाना प्रेमनगर बरेली पर थाना क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रही 1. मुनारा बी पत्नी स्व0 मोहम्मद यासीन उर्फ कल्लू पुत्र मौजहुर हाल निवासी 173 नियर बिलाल मस्जिद मौलानगर बरेली व स्थाई पता ग्राम शीकरी, थाना बैनापुलपोर्ट, जिला जेस्सोर खुलना बांग्लादेश 2. सायरा बानो पत्नी ताजुद्दीन निवासी मोहल्ला बाजार कस्बा व थाना हाफिजगंज जनपद बरेली 3. तसलीमा पत्नी शमशाद निवासी कस्बा व थाना हाफिजगंज जनपद बरेली द्वारा मिलकर षडयन्त्र करते हुये कूटरचना एवं भारतीय आईडी व भिन्न भिन्न माता पिता व भिन्न भिन्न जन्मतिथि से कई भारतीय पासपोर्ट बनवाने व अन्य पहचान का अपने ऊपर प्रतिरूपण करने तथा अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर विदेशी नागरिकता छिपाते हुये भारतीय आधार व अन्य पहचान पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 322/2025 धारा 419, 420, 467, 468, 471, भादवि व धारा 12(1A) (b) पासपोर्ट अधिनियम 1967, व धारा 14A(b) व धारा 14 B विदेशी अधिनियम 1946, धारा 35 आधार अधिनियम 2016 पंजीकृत कराया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही – अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अभियान के अन्तर्गत एवं गोपनीय जांच व थाना प्रेमनगर बरेली पुलिस टीम द्वारा थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 322/2025 धारा 419, 420, 467, 468, 471, भादवि व धारा 12(1A) (b) पासपोर्ट अधिनियम 1967, व धारा 14A(b) व धारा 14 B विदेशी अधिनियम 1946, धारा 35 आधार अधिनियम 2016 से संबंधित अभियुक्ताओं की तलाश हेतु थाना प्रभारी मय फोर्स के मो0 बानखाना पहुँचे तो मुखबिर सूचना पर मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्ता मुनारा बी पत्नी स्व0 मो0 यासीन उर्फ कल्लू निवासी ग्राम सीकरी थाना बैनापुलपोर्ट जिला जेस्सोर खुलना, बांग्लादेश एवं हाल निवासी मो0 मौलानगर थाना प्रेमनगर बरेली को दिनांक 22.08.2025 को समय करीब 18.30 बजे मो0 बानखाना से गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से मूल पासपोर्ट, मूल पैन कार्ड, बोर्डिंग पास, विदेश के कई होटलो के विजिटिंग कार्ड भिन्न भिन्न नाम व जन्मतिथि से बने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रतियाँ मिली व 150 रु प्राप्त हुये, प्राप्त रु0 महिला को दिये गये। मुकदमा उपरोक्त की शेष अभियुक्ता को मुनारा बी निशानदेही पर सतीपुर चौराहे से सायरा बानो पत्नी ताजुद्दीन व तसलीमा पत्नी शमशाद अहमद निवासी मौ0 बाजार हाफिजगंज थाना हाफिजगंज बरेली को दिनांक 22.08.25 समय करीब 19.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं से की गयी पूछताछ व अन्य विवेचना से धारा 120बी भादवि के अपराध का होना पाया गया। जिस कारण मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता सायरा बानो व तसलीमा के विरुद्ध धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. मुनारा बी पत्नी स्व0 मो0 यासीन उर्फ कल्लू निवासी ग्राम सीकरी थाना बैनापुलपोर्ट जिला जेस्सोर खुलना, बांग्लादेश एवं हाल निवासी मो0 मौलानगर थाना प्रेमनगर बरेली।
2. सायरा बानो पत्नी ताजुद्दीन मौ0 बाजार हाफिजगंज थाना हाफिजगंज बरेली मूल निवासी जिला जेस्सोर खुलना, बांग्लादेश
3. तसलीमा पत्नी शमशाद अहमद निवासी मौ0 बाजार हाफिजगंज थाना हाफिजगंज बरेली मूल निवासी जिला जेस्सोर खुलना, बांग्लादेश

पूछताछ का विवरण -

1. अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि उसने सायरा बानो के नाम से कूटरचित पासपोर्ट पर कई बार विदेश यात्राएं की हैं तथा वह घरों में साफ सफाई बर्तन आदि का कार्य करती है तथा बचपन में ही हिन्दुस्तान आयी थी यही पत्नी बड़ी फिर मेरी शादी मो0 यासीन उर्फ कल्लू से हो गयी थी। जो स्कूल में रिकशा चलाता था। मैं अभी घरों में झाड़ू पौछा का काम करती हूँ। शादी के बाद मेरे 02 लड़के 02 लड़की हुयीं जिनका नाम हसीन है तथा दूसरा बेटा वसीम जो हैदराबाद में है कारचौबी का कार्य करता है, पुत्री गुडीया की मृत्यु हो गयी है, नगमा शादीशुदा है तथा बानखाना में मेरे साथ निवास करती तथा इसका पति विदेश रहता है। मैं अशिक्षित हूँ तथा मैंने अपने तथा सायरा बानो के नाम से कई पासपोर्ट बनवाये हैं तथा सायरा बानो के नाम से बने पासपोर्ट से पिछले 12 वर्षों में बांग्लादेश व दुबई समेत कई बार कामकाज के लिए विदेश यात्राएं की हैं। मैं अपनी बांग्लादेशी पहचान छुपाकर कई वर्षों से यहाँ रह रही हूँ। इनके संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जांच की जा रही है।

2. अभियुक्ता सायरा बानो उम्र लगभग 48 वर्ष के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा 03 बेटे व 02 बेटियाँ हैं। जिनका नाम नसीम उम्र 30 वर्ष मजदूरी करता है, अजमत उम्र 26 वर्ष मजदूरी करता है, एक बेटा उम्र 16 वर्ष मजदूरी करता है, हुस्नआरा उम्र 22 वर्ष घर पर रहती है, एक बेटा उम्र 17 वर्ष घर पर रहती है तथा मैं मजदूरी करती हूँ। मैंने अपनी बहन मुनारा बी की विदेश यात्रा के लिए कूटरचित तरीके से पासपोर्ट बनवाने में सहायता की है। मैं अशिक्षित हूँ। मैं अपनी बांग्लादेशी पहचान छुपाकर कई वर्षों से यहाँ रह रही हूँ। इनके संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जांच की जा रही है।

3. अभियुक्ता तसलीमा उम्र लगभग 45 वर्ष का पति शमशाद अहमद मजदूरी करता है तथा 03 बेटे व 01 बेटा है बेटा जियाउद्दीन उम्र 20 वर्ष मजदूरी करता है, एक बेटा उम्र 17 वर्ष मजदूरी करता है, एक बेटा उम्र 13 वर्ष मजदूरी, बेटा सीमा उम्र 25 वर्ष घर पर रहती है तथा मैं अशिक्षित हूँ। मैंने अपनी बहन मुनारा बी की विदेश यात्रा के लिए कूटरचित तरीके से पासपोर्ट बनवाने में सहायता की है। मैं अपनी बांग्लादेशी पहचान छुपाकर कई वर्षों से यहाँ रह रही हूँ। इनके संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जांच की जा रही है।

बरामदगी का विवरण -

1. मूल पासपोर्ट संख्या J8469297 नाम मुनारा बी, पिता का नाम रईस अहमद, जन्मतिथि 10.09.1959
2. मूल पैन कार्ड संख्या EPKPM0973R नाम मुनारा, पिता का नाम दीनमोहम्मद, जन्मतिथि 01.01.1959
3. सायरा बानो के नाम से विदेश जाने का बोर्डिंग पास
4. विदेश के कई होटलों के विजिटिंग कार्ड
5. भिन्न भिन्न नाम व जन्म तिथि से बने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रतियाँ

पुलिस टीम का विवरण -

1. श्री आशुतोष रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर बरेली।
2. व030नि0 श्री राजीव कुमार शर्मा, थाना प्रेमनगर बरेली।
3. म030नि0 श्रीमति आरती चौधरी, थाना प्रेमनगर बरेली।
4. का0 3513 विष्णु, थाना प्रेमनगर बरेली।
5. म0का0 3610 स्वेता, थाना प्रेमनगर बरेली।